मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक:वसूली/अधि/ब्रिस्क/संविसं/2009/915 **भोपाल दिनांक 29 अप्रैल 2009**

प्रति

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश
2. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त वाणिज्यिक/निजी व्यवसायिक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्यप्रदेश
3. अग्रणी ज़िला प्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश

विषयः- **कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना 2008 अन्तर्गत जारी आर.आर.सी. प्रकरणों में ब्रिस्क एवं कार्यवाही ख़र्च के भुगतान बाबत्**

भारत सरकार द्वारा लागू की गई कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना, 2008 के क्रियान्वयन हेतु इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक प्राविवि/कृषि/ऋण-माफ़ी/संविसं/2008/1197 दिनांक 09.06.2008 की कण्डिका 9 का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि "बैंक द्वारा ऐसे किसानों के विरूद्ध मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1986 के प्रावधान अंतर्गत यदि कोई आर.आर.सी. प्रस्तुत की गई है तथा कलेक्टर द्वारा जारी की गई है तो ऐसी आर.आर.सी को बैंक द्वारा वापिस ली जाय"।

इसी अनुक्रम में ब्रिस्क योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर जारी मार्गदर्शी अनुदेशों का भी अवलोकन करें जिनमें स्पष्ट उल्लेख है कि यदि बैंक पृथक से वसूली की कार्यवाही करते हैं तो पहले आर.आर.सी. वापिस लेनी होगी। तथापि कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना, 2008 अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बैंकों की अतिदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा मैदानी स्तर पर राजस्व अमले द्वारा वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा आर.आर.सी. को वापिस ली जाना अपरिहार्य है। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना, 2008 अन्तर्गत समायोजित/वसूल की गई राशि के प्रकरण में बैंक द्वारा ऐसी आर.आर.सी. को वापिस लेने पर कार्यवाही ख़र्च तथा ब्रिस्क राशि का भुगतान नहीं किया जाना होगा।

क्रमशः ... 2/-

अतएव भारत सरकार द्वारा लागू कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना, 2008 अन्तर्गत बैंक द्वारा प्रस्तुत तथा कलेक्टर द्वारा जारी की गई राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) वापिस ली जाने पर मध्यप्रदेश लोक-धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (क्रमांक 1 सन् 1988) की धारा 3 की उप धारा (ग) मे निहित प्रावधान अन्तर्गत सावधिक कार्यवाही ख़र्च (यथा 3.00 प्रतिशत) तथा ब्रिस्क राशि (यथा 2.5 प्रतिशत) की वसूली बैंकों से नहीं की जाय।

उक्त व्यवस्था सिर्फ़ कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना, 2008 अन्तर्गत प्रभावित खातों पर ही लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/4/09

(पल्लवी जैन गोविल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक वसूली/अधि/ब्रिस्क/संविसं/2009/916 भोपाल दिनांक 29 अप्रैल 2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित :-

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, 9, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक आंका/एसएलबीसी/2008-09/395 दिनांक 25.03.2009 के सन्दर्भ में ।

28/4/09

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग